न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/02/2022	2022/100	20.01.2022	07.06.2022

1. फुरकान अहमद खान पुत्र स्व0 अयुब खां जाति मेव निवासी 2, मदार साहब रोड़, कुन्दन नगर, अजमेर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राज सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

—असल रैस्पोडेन्ट

2. रिजवान अहमद खान पुत्र स्व0 अयुब खां
3. रिया उर्फ मजहबी पुत्री स्व0 अयुब खां
4. सहनाज खां पत्नी स्व0 अयुब खां जाति मेव निवासी 2, मदार साहब रोड़, कुन्दन नगर, अजमेर राज0।

—तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 09.07.2021 विरासत नामान्तकरण संख्या 1004 ग्राम धोली दूब तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री मोहसिन खान —**वकील अपीलान्ट**

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 09.07.2021 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1004 ग्राम ग्राम धोली दूब तहसीलदार अलवर जिला अलवर जिसे बेजा तौर पर खारिज किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के पति व पिता स्व0 अयुब खान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के पति व पिता का स्वर्गवास दिनांक 28.07.2020 को हो गया। जिसका विरासत इंतकाल सं0 1004 को दिनांक 08.04.2021 को दर्ज किया गया। जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.07.2021 को पटवारी/आईएलआर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 05.01.2022 को होने पर दिनांक 06.01.2022 उक्त इंतकाल की नकल प्राप्त की। जिसके बाद कानूनी सलाह लेकर अपील पेश न्यायालय श्रीमान को बिना देरी पेश की गयी है। उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलांट पूर्व में अजमेर में स्थाई रूप से निवास करने के कारण नहीं हो सकी थीं। दिनांक 08.04.2021 से आज दिनांक तक के समय को कंडोन करने हेतु पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया है। दर्ज विवादित इंतकाल में मृतक अयुब खां की पुत्री रिया का पूर्ण नाम मजहबी होना व अन्तरजातीय विवाह उपरांत मजहबी का नाम रिया गोयल पत्नी आकाश गोयल होना विधि विरूद्ध है। किसी भी व्यक्ति का नाम विवाह से पूर्व व विवाह के बाद परिवर्तित होना उसके पिता की पैतृक सम्पत्ति में कानूनी हक समाप्त नहीं होते है। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 आज भी विवादित आराजी पर काबिल दाखिल चले आ रहे है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 09.07.2021 बाबत इन्तकाल संख्या 1004 वाके ग्राम धोली दूब तहसील अलवर जिला अलवर को अपास्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान वकील तरतीबी रेस्पॉडेन्ट अनुपस्थित आये। बहस वकील अपीलांट एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2021 के विरूद्ध दिनांक 20.01.2022 को अपील पेश की गयी। जो लगभग 6 माह के विलम्ब से पेश की गयी है। न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त अवधि कन्डोन की जाती है तथा प्रस्तुत इंतकाल की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मुताबिक पटवारी/आईएलआर इंतकाल खारिज किया गया है। आईएलआर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सिविल न्यायालय सुनवाई योग्य होने से खारिज योग्य बताया है। किन्तु किस सिविल न्यायाल में सुनवाई हो रही है। स्पष्ट नहीं है। स्पष्टता के अभाव में तहसीलदार अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि नियमानुसार विधिक वारिसान की जांच कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)